

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

संगत एक संस्करण कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा ही ही किया जाने न कि किसी अन्य परामर्शदाता के द्वारा है। संशोधित संस्करण पर यदि पूर्व में पर संस्करण हुआ है तो पर संस्करण पर विचार संशोधित किया जाने नियमित तरीका से।



नाम : कुलसचिव
 दूरभाष : (0751) 2341898
 (0751) 2442629
 फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
 कुलसचिव,
 जीवाजी विश्वविद्यालय
 ग्वालियर

संज्ञांक-एफ/सम्बद्धता/2012/5892

दिनांक: 29/12/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध शासकीय कन्या महाविद्यालय, मुरार, ग्वालियर को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/तय/तयित एम.एड-डी. अंतर्राष्ट्रीय (रसायन, माइक्रोबायोलॉजी, नर्सिंग/प्रसार एवं संचार), पाठ्यक्रम कक्षा-पाठ्यक्रम/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुसंधान प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचयन 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार विरीक्षण समिति का गठन किया है -

- (1) प्रो. राजीव जैन, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442766)
- (2) प्रो. अविनाश लेवारी आचार्य, वाणिज्यिकी अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) डॉ. शैलजा जैव, शासकीय के.आर.जी. कॉलेज, ग्वालियर।
- (4) प्रो. डी.एन. गोरचारी, अधिष्ठाता, महाविद्यालयीय विकास परिषद जी.वि.वि. ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचयन 27/28 के प्रावधानों के अनुसार महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर कुल, संशोधन संघ, संशोधन शैक्षणिक/अशैक्षणिक संघ, प्राधिका संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुमति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीडा परिसर एवं पाठ्यक्रम/कार्यक्रम तथा पिछले सत्र में की गई शर्तों की पूर्ति सब प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/संयोजक एवं अशैक्षणिक संघों की विद्युत्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसंधानें प्रेषित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पर प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संपोषक एवं संपूर्ण से संपूर्ण स्थापित कर विरीक्षण करावें। समिति संयोजक से विवेक है कि वे उक्त निर्धारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण में की गई वेंचों के लिए महाविद्यालय संबंध अंतरदायी होगा। जिसमें कुल, आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वतः विरस हो जावेगी और युवा निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को एक सख्य रु. 25,000/- लगा करके हॉने। तदनुसार ही निरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया जावेगा। परिचयन 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना स्वयं को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की ब्युस्टिबल से निरीक्षण समिति को अवगत करवेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / सी.ए. / मानवीय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


 कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. संगत सदस्यों की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आगत है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय को विरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतयुद्ध भवन, भोपाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


 उपा-कुलसचिव (सम्बद्धता)